

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनांक 17.9.91 के क्रम में बैठक दिनांक 5.10.91 को परिषद मुख्यालय, 104, मन्दाकिनी बाईपास मार्ग, लखनऊ में हुई तृतीय बैठक का कार्य-वृत्त

दिनांक 17.9.91 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

111	श्री आर.एस.ओ.माथुर	प्रमुख सचिव, उपप्रशासन, आवास	अध्यक्ष
112	श्री अंकर गुप्ता	विशेष सचिव, वित्त विभाग सहायक सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
113	श्री नरेन्द्र कुमार	उप सचिव, आवास आवास सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
114	श्री जे.पी.भागीव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
115	श्री हरीशंकर चौसमिया	मुख्य अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
116	श्री श्रीकृष्ण	अतिरिक्त महा निदेशक, महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम द्वारा के प्रतिनिधि	सदस्य
117	श्री अतुल कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त	सदस्य
118	श्री कै.एस.प्रसाद	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

दिनांक 5.10.91 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

111	श्री आर.एस.ओ.माथुर	प्रमुख सचिव आवास, उपप्रशासन	अध्यक्ष
112	श्री जे.पी.भागीव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
113	श्री हरीशंकर चौसमिया	मुख्य अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
114	श्री एस.एस.ओ.यादव	संयुक्त निदेशक, वित्त महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम द्वारा के प्रतिनिधि	सदस्य
115	श्री अतुल कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त	सदस्य
116	श्री कै.एस.प्रसाद	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	विषय	संख्या संख्या	निर्णय
1	2	3	4
111	दिनांक 20.3.91 को हुई द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि	111/111/91	दिनांक 20.3.91 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
112	दिनांक 20.3.91 की अनुपालन आख्या	111/121/91	दिनांक 20.3.91 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से परिषद को अवगत कराया गया।
113	श्री.सं.-1, कानपुर में प्रस्तावित स्वयंसेवकों के अन्तर्गत 66/142 प्रकार के फिनिशिंग नगर स्वयंसेवकों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	111/131/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
114	श्री.सं.-1, कानपुर में प्रस्तावित 18 नव 66/142 प्रकार के सेमी फिनिशिंग स्वयंसेवकों के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	111/141/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

- | | | | |
|----|--|-----------|---|
| 55 | किष्ठा योजना में 12नग दुकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं बि० स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/5/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 56 | घो०सं०-2, संजय विहार योजना, हापुड़ में निर्मित होने वाले 67नग अ०आ०ब० 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 111/6/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 57 | इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-14 में निर्मित 50नग दु०आ०ब० 12/24 प्रकार के भवनों की पुन० प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/7/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 58 | राजनगर योजना, लखीमपुर खीरी में 35नग म०आ०ब० 53/127 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/8/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 59 | राजाजीपुरम, लखनऊ के से०-6 में प्रस्तावित 56नग दु०आ०ब० डब्लू-1/75 प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 111/9/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 10 | घो०सं०-2, हल्द्वानी में जलापूर्ति व्यवस्था हेतु रु० 3.54 लाख के प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/10/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 11 | मुरादाबाद की मझोला घो०सं०-4 में प्रस्तावित टाइप-1 के 6, टाइप-3 के 7 फिनिशड स्व०बि०पी० भवन तथा टाइप-1 के 23, टाइप-2 के 14 तथा टाइप-3 के 10 सेमीफिनिशड स्व०बि०पी०बर्ष-89 परियोजना के अंतर्गत भवनों की प्रशासनिक एवं बि० स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/11/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 12 | राजनगर बो०, लखीमपुर खीरी में 82नग अ०आ०ब० 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/12/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 13 | इन्दिरानगर विस्तार बो०, लखनऊ से०-17 में म०आ०ब० 57/108 प्रकार के 29नग सेमीफिनिशड हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/13/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 14 | पहलादपुरी बो०, हरदोई में 75नग दु०आ०ब० 18/30 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/14/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |
| 5 | महादेव झारखण्डी बो०, गोरखपुर में 31नग अ०आ०ब० 56/121 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 111/15/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अबलोकन किया गया। |

1	2	3	4
16	बो०सं०-2, रामपुर में निर्मित 6नग स्व०बि०पी० 93/176 प्रकार के भवनों की पुनरीधित प्रशा० एवं बि० स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/१16१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
17	बो०सं०-2, रामपुर में 193नग दु०आ० व० 18/40 प्रकार के भवनों की पुनरीधित प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/१17१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
18	बो०सं०-1, कानपुर में उ०आ०व० भवन सं०-127 से 131, 135 से 137 तथा 400 से 420 कुल 11 भवनों में स्थित परिषद के चार कार्यालयों में बाउन्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/१18१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
19	परिषद की बड़पुर बो०, फतेहगढ़ में निर्मित 56/121 प्रकार के म० आ०व० भवनों में स्थापित नि०ख०-14 के कार्यालय में अतिरिक्त कार्यों के कराये जाने हेतु प्रशा० एवं बि० स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	111/१19१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
20	बो०सं०-5, दमदमाकोठी, मुरादाबाद में निर्मित 10नग स्व०बि०पी०व०-87 के अंतर्गत टाइप-3 प्रकार के फिनिशड भवनों की पुनरीधित प्रशा० एवं बि० स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/१20१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
21	बीरभद्र मार्ग श्रमि विकास एवं गृह-स्थान बो०सं०-1, ग्रधिकेश में प्रथम शासन श्रम परिषद के अंतर्गत 66नग 18/40 प्रकार दु०आ०व० भवनों की पुनरीधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० के संबंध में।	111/१21१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
22	बो०सं०-3, दमदमाकोठी, मुरादाबाद में 8नग स्व०बि०पी०व०-87 के अंतर्गत टाइप-11 के सेमीफिनिशड भवनों की पु० प्रशा० एवं बि० स्वीकृति के संबंध में।	111/१22१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
23	वेतिहाहाता प०बो०-गोरखपुर में स्व०बि०पी०व०-87 के अतिरिक्त 3नग टाइप-1, फिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/१23१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
24	बो०सं०-2, अमरोहा में निर्मित 142 नग अ०आ०व० 29/60 प्रकार के भवनों की पुन० प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/१24१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
25	रा०पु० लखनऊ के से०-7 में स्व०बि० पी० परिषद के अंतर्गत 3नग श्रेणी-1 93/176 प्रकार सेमीफिनिशड तथा 4नग श्रेणी-11 68/142 प्रकार सेमीफिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/१25१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
26	ककरल पिकनिक स्पॉट रोड एवं रसुल- खैर सादात रोड को परिषद वध में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	111/26/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
27	हिन्दिरानगर विस्तार बो०, लखनऊ के सं०-16 में 27नम आ०आ०ब० 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/27/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
28	धो०सं०-2, घन्दाती में निर्मित 39नम दु०आ०ब० 18/40प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वि० स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/28/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
29	बीलीभीत की टैगोर नगर बो० में 12 नम आ०आ०ब० 29/60प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/29/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
30	हिन्दिरानगर विस्तार बो०, लखनऊ के सं०-17 में 1038नम दु०आ०ब० 15/25 प्रकार के भवनों के स्थान पर 942नम भवनों की पुन० प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/30/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
31	संजय बिहार बो०सं०-2, हापुड़ में 42 नम 19/41प्रकार के भवनों की पुन० प्रशा० एवं वि० स्वीकृति।	111/31/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
32	धो०सं०-3, दमदमाकोठी, मुरादाबाद में निर्मित 78नम स्व०वि०बो०-87 के अंतर्गत टाइप-1 प्रकार के तैमीफिनिशड भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वि० स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/32/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
33	मझोला बो०सं०-4, मुरादाबाद में स्व० वि०बो०परिषद योजना 89 के अंतर्गत 13नम 68/142टाइप द्वितीय प्रकार के फिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० का प्रस्ताव।	111/33/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
34	मझोला बो०सं०-4, मुरादाबाद के 23नम न०आ०ब० 53/127प्रकार के तैमीफिनिशड भवनों की पुन० प्रशा० एवं वि० स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/34/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
35	दान्तमसुना बो०, आगरा में विधुतपरिषद के अनुरक्षण स्टाफ के लिए आवासीय भवन के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	111/35/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
36	धो०सं०-3, दमदमाकोठी, मुरादाबाद में निर्मित 8नम स्व०वि०बो०-87 के अंतर्गत टाइप-1 प्रकार के फिनिशड भवनों की पुन० प्रशा० एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/36/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
37	घण्टमूडको परिषद योजना के अंतर्गत सं०-3 धो०सं०-10, मेरठ के 378नम 13/23प्रकार के दु०आ०ब० भवनों की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/37/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
38	इज्जतनगर बो०सं०-2, बरेली के अन्तर्गत निर्मित किए गए 17नम टकानों की पुन०	111/38/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का

1	2	3	4
39	बदपर बो-भतेदुगढ़ में प-थम हडको परियोजना के अंतर्गत निमाणाधीन 446नग टा.आ.ब. 18/30 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशासनिक एवं बि. स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/439/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
40	बो-2, चन्दौली में निर्मित 31नग म.आ.ब. 53/127 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा. एवं बि. स्वीकृति।	111/440/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
41	रा.प.बो. लखनऊ के से-19 के अंतर्गत निर्मित होने वाले 45नग म.आ.ब. 53/127 प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों की प्रशा. एवं बि. स्वी. निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/441/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
42	महादेव झारखंडी बो, गोरखपुर में 21नग म.आ.ब. 53/127 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा. एवं बि. स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/442/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
43	परिषद की बो-1, औरैया जनपद-इटाबा में 56नग 18/40 प्रकार के म.आ.ब. के भवनों हेतु पुनरीक्षित प्रशा. एवं बि. स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/443/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
44	बेतिबाहाता पूर्वी बो, गोरखपुर में स्व. बि.प.बो-87 के अंतर्गत निर्मित 48नग टाइप-1 सेमीफिनिशड 93/176 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. के सम्बन्ध में।	111/444/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
45	बो-3, दमदमाकोठी, मुरादाबाद में निर्मित 8नग स्व.बि.प.बो-87 के अंतर्गत टाइप-1 प्रकार के फिनिशड भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/445/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
46	सिकन्दरा बो, आगरा के से-5 में स्व. बि.प.बो-1 के 8नग फिनिशड 93/176 प्रकार तथा 8नग सेमीफिनिशड 93/176 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/446/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
47	सिकन्दरा बो-आगरा के से-4 ब 4"ए" में 494नग टा.आ.ब. 18/40 प्रकार के भवनों हेतु प्रस्तावित पुनः प्रशा. एवं बि. स्वी. निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/447/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
48	सिकन्दरा बो-आगरा के से-7, 5, 10, 11 में कुमश: 164, 109, 78, 102 कुल 453नग सेमीफिनिशड म.आ.ब. 56/121 प्रकार के भवनों की 19बी, 18बी, 20बी एवं 22बी हडको परियोजना के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी. के सम्बन्ध में।	111/448/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
49	सिकन्दरा बो-आगरा के से-9 में पूर्ण फिनिशड स्व.बि.प.बो-87 के टाइप 2 प्रकार के 8नग भवनों की पुनः प्रशासनिक एवं बि. स्वी. निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/449/91	परिषद द्वारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
50	महोली बोर्ड-1, मथुरा में परिषद पांचवट के अंतर्गत 105 नग अ०आ०ब० 29/60 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/50/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
51	सिकन्दरा बोर्ड-आगरा के से०-9 में स्व०बि०प०-87 टाइप-3 के 14 नग तैमीफिनिड 157/108 प्रकार एवं 3 नग फिनिड 57/108 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/51/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
52	वन्दोली बोर्ड-1 के अंतर्गत 2 नग अ०आ०ब० 53/127 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० का प्रस्ताव।	111/52/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
53	बोर्ड-1, शिकोहाबाद में शासन क्रम के अंतर्गत 31 नग अ०आ०ब० 33/127 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं वित्तीय निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/53/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
54	वि०न०बो०, लखनऊ के से०-8 में 255 नग अ०आ०ब० 19/40 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० के सम्बन्ध में।	111/54/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
55	सिकन्दरा बोर्ड-आगरा के से०-5 में 17 बोर्ड हडको परिषद के अंतर्गत 281 नग अ०आ०ब० 18/60 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० के सम्बन्ध में।	111/55/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
56	अंती बोर्ड-2, इलाहाबाद में तृतीय हडको परिषद के अंतर्गत निष्प्राधिकृत 156 नग अ०आ०ब० 29/60 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/56/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
57	बोर्ड-2, कानपुर में 13 वीं हडको परिषद के अंतर्गत 13/25 प्रकार के 525 नग अ०आ०ब० के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/57/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
58	परिषद की बोर्ड-2, कानपुर में नवम् हडको परिषद के अंतर्गत 134 नग 19/41 प्रकार के अ०आ०ब० भवनों हेतु पुनरीक्षित प्रशा० एवं बि० स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/58/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
59	महोली बोर्ड-2, मथुरा कृष्णबिहार में 172 नग अ०आ०ब० 18/30 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं बि० स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/59/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
60	सिकन्दरा बोर्ड-आगरा के से०-6 में 23 वीं हडको परिषद के अंतर्गत 248 नग अ०आ०ब० 13/23 प्रकार के भवनों की पुनः प्रशा० एवं बि० स्वी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/60/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
61	तुहासनगर बोर्ड-फिरोजाबाद में निर्मित 172 नग अ०आ०ब० 53/127 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/61/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
63	इन्दिरानगर विस्तार बो० के तं०-4 में परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	111/63/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
64	इन्दिरानगर विस्तार बो० के तं०-14 में निर्मित 23नग 29/60 प्रकार के अ०आ० भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/64/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
65	वेतिहाहाता पूर्वी बो०-गोरखपुर में 12 नग टाइप-2/68/142 प्रकार के स्व०वि० बो०-87 तैमीफिनियड भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/65/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
66	लक्ष्मीपुर बो० में 11नग अ०आ०व० की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/66/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
67	सम्भल गेट बो० तं०-1, चन्दीली में 52नग 29/40 प्रकार तथा 95नग 29/60 प्रकार के अ०आ०व० कुल 147नग भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/67/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
68	बो० तं०-3, दमदमाकोठी, बुरादाबाद में निर्मित 11नग स्व०वि० बो०-87 के अंतर्गत टाइप-3 प्रकार के तैमीफिनियड भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/68/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
69	इन्दिरानगर विस्तार बो० के तं०-10 में परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	111/69/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
70	तरजकड योजना-गोरखपुर में 10नग अ० आ०व० स्ल-4/79 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/70/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
71	इलाहाबाद स्थित इंदी बो० तं०-3 के बाह्य विधुतीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/71/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
72	परिषद की बो० तं०-2, कानपुर में 8बी०डको परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	111/72/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
73	सुलन्दगहर बो० तं०-1, तं०-3 में 20नग अ० आ०व० 106/130 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/73/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
74	बो० तं०-2, बदायूँ की 13नग दुकानों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी० के सम्बन्ध में।	111/74/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
75	पहलादपुरी बो०-हरदोई में निर्मित 20नग दुकानों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/75/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
76	बीरभद्र मार्ग बो० तं०-1, अशिकेश में परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	111/76/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

- 77] महोत्तम बोर्ड-1, मथुरा में द्वितीय हड़को परियोजना के अंतर्गत 65 आर्डीएन 29/66-आरएफकार्ड भवनों की पुनरी-धित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। 111/77/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 78] उपरु. आचात एवं विकास परिषद द्वारा भवनों पर आर्डी से बिक्रय पर लाभांश न लिए जाने के लिए तिथि का निर्धारण। 111/78/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 79] परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में हड़को विभाग को म.आ.एन. भवन आर्डी के सम्बन्ध में। 111/79/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 80] जिला अस्पताल-बस्तीबाद के आर्डीकेयर डिजाइन व डिटेल्स हेतु निजी वास्तुविद तुलाहकार की तैयारी उपलब्ध करने के संबंध में। 111/80/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 81] विशिष्ट कार्यों के लिये सहायक वास्तुविदों को प्रभारी रूप में रखने के सम्बन्ध में। 111/81/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 82] परिषद के वास्तुविदों के वेतनमानों में समता समिति की संस्तुतियों के लागू करने के पश्चात् च्याप्त बिसंगतियों के सम्बन्ध में। 111/82/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 83] तिकन्दरा बोर्ड-आगरा में 33 के.बी.ए. संवर्धन के निर्माण के सम्बन्ध में। 111/83/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 84] सिविल लाइन्स बोर्ड-बरेली के भवन सं-135 में स्थित गेस्ट हाउस में बातानुकूलित रेकोर्डर तथा अलमारी क्रम करने के सम्बन्ध में। 111/84/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 85] इन्दिरानगर बोर्ड-लखनऊ में परिषद का एक फील्ड हास्टल निर्मित करने के संबंध में। 111/85/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 86] बसुन्दरा बोर्ड-गाजिबाबाद में समाविष्ट तिरु. बोर्ड गाजिबाबाद की भूमि के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में। 111/86/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 87] प्रथम हड़को कम्पौ. हाउसिंग स्कीम नं-2 महोत्तम-मथुरा स्कीम नं-7913 111/87/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 88] हड़को पोषित 12वीं हड़को एच.आई.जी. प्रोजेक्ट बसुन्दरा बोर्ड-गाजिबाबाद स्कीम नं-8293 111/88/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 89] हड़को बिल्ट पोषित 7 योजनाओं में ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। 111/89/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 90] परिषद की मेरठ, भूमिर्जन योजना हेतु अतिरिक्त ऋण हड़की से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। 111/90/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- 91] उपरु. भवन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कल्लाहाबाद, आगरा एवं मेरठ के निर्मित केन्द्रों के माध्यम से भवनों के लिए विभिन्न कॉम्पानेंट के फैब्रिकेशन के सम्बन्ध में। 111/91/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 92] परिषद की बोर्ड-1 में प्रस्तावित स्वं. 111/92/91 परिषद द्वारा विचार विमर्श के

2	3	4
938 तिकन्दरा योजना-आगरा के सेक्टर-9 में स्वयं चित्त पोषित परियोजना-85 के अंतर्गत 61 स्तम्भ टाइप-2859/18 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	111/93/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
948 परिषद की बोर्ड-1, कानपुर में प्रस्तावित स्वयं चित्त योजना के अंतर्गत 2 नग 93/176 टाइप-पथम सेमीफिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/94/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
958 परिषद की जेटी बोर्ड-3, इलाहाबाद में प्रस्तावित 109 नग अआब 18/41 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव।	111/95/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
968 लक्सर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान बोर्ड-2, हरिद्वार की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	111/96/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
978 कानपुर बोर्ड-1 एवं 3 में 33/1 के बी. विद्युत तबस्थान हेतु भूमि एवं आपूर्ति स्टाफ के लिए आवासीय भवनों का, हस्तगत।	111/97/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
988 सीतापुर योजना के नगरपालिका, सीतापुर हस्तारोपण करने के सम्बन्ध में।	111/98/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
998 परिषद की बोर्ड-1, कानपुर में 4 नग 57/108 प्रकार के फिनिशड स्वयं चित्त पोषित भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/99/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
1008 परिषद की बोर्ड-1, कानपुर में प्रस्तावित स्वयं चित्त योजना के अंतर्गत 6 नग 75/200 प्रकार के टाइप-1 सेमीफिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव।	111/100/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
1018 जेटी बोर्ड-3, इलाहाबाद में प्रस्तावित 107 नग अआब 18/30 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव।	111/101/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
1028 इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-12 में परिषद परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 11 नग अआब 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/102/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
1038 इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-12 में परिषद परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 24 नग अआब 18/30 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/103/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
1048 परिषद की बोर्ड-1, कानपुर में प्रस्तावित स्वयं चित्त पोषित योजना के अंतर्गत 9 नग 57/108 प्रकार के टाइप-111 सेमीफिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव।	111/104/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

2	3	4
105] परिषद की यो०सं०-1, कानपुर में उनका 93/176 प्रकार के फिनिश टैबलवि०धो० भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी-कृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	111/105/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
106] जागति विहार बो०सं०-6, मेरठ की सीटिंग ट्रीटमेंट व्यवस्था के संबंध में।	111/106/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रीटमेंट प्लान्ट को कम से कम दो साल संविदा पर या अन्यथा संस्थान द्वारा चलाने की व्यवस्था की जाये।
107] परिषद की बसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में मोहन नगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि० की भूमि के संबंध में।	111/107/91	परिषद द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रस्ताव स्थगित किया गया।
108] पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।	111/108/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव निम्न तशोधन के साथ स्वीकृत किया गया :- 1-3] गृह में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये। 2-3] लागू नहीं होगा। 3-ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जिन्होंने अन्तर धनराशि जमा नहीं की है जो अन्तर धनराशि जमा करने हेतु नोटिस देने के उपरान्त उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये। उपरोक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु निर्णय में आवश्यक तशोधन करने के प्रस्ताव बाई सरकलेशन पारित करा लिया जाये।
109] परिषद की स्वयं बित्त यो०धो० के अन्तर्गत संस्था के नाम से पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	111/109/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद के पूर्व निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जाये।
110] पंजीकरण धनराशि की बाधनी में घोषा-धडी के प्रकरणों के परीक्षण हेतु नामित समिति की बैठक दि० 18.5.91 की कार्यवाही का कार्यान्वित।	111/110/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रकरणों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।
111] राष्ट्रीय आवास बैंक से बसुन्धरा योजना गाजियाबाद हेतु रु० 2751.366 लाख का ऋण।	111/111/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
112] श्री बोगेन्दू पाण्डेय, मुख्यालयिक, नि०सं०-18, कानपुर को दि० 4.11.89 से दि० 6.3.90 तक का विरह अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	111/112/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
113] संगणक तथा मुख्य मानचित्रक के पदों पर पोलिसि हेतु मानचित्रक विभाग में तैलकम गेड की अन्विष्टता को समाप्त करने विषयक।	111/113/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

2	3	4
§ 114 परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 90-91 में स्वीकृत भवन अग्रिम की धनराशि को वर्ष 1991-92 में कैरिड ओवर करने के संबंध में।	111/§114/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संबंधित धनराशि को पुनरीधित बजट के प्रस्तावों में शामिल किया जाये।
§ 115 श्री रामेश्वर अग्रवाल अग्रवाल, निरुद्ध-3, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में भवन अग्रिम स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	111/§115/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
§ 116 परिषद में अस्ट्रोल/दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा होल्डर कर्मचारियों के दैनिक वेतन में वृद्धि करने के संबंध में।	111/§116/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
§ 117 अवर अभियंताओं को 1.1.86 से देख के तत्काल के सरिबर का भुगतान	111/§117/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह जानकारी करके यह मामला अगले बैठक में रखा जाये कि क्या इस संबंध के कर्मचारी रु० 620-1100 के वेतन-मान को प्रत्येक टूट से छोड़ने को तैयार है।
§ 118 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को दिया जा रहा स्थानीय भत्ता की धनराशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।	111/§118/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
§ 119 विद्युत को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में वृद्धि।	111/§119/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
§ 120 गाजिबाद में कार्यरत अवर अभियंताओं को विशेष वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	111/§120/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव वापस किया गया।
§ 121 परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1990-91 में स्वीकृत वाहन अग्रिम की शेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 91-92 में कैरिड ओवर करने के संबंध में।	111/§121/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि संबंधित धनराशि को पुनरीधित बजट के प्रस्तावों में शामिल किया जाये।
§ 122 उपर आबात एवं विकास परिषद तब डिनेट कंप्यूटर एंड डाइंग स्टाफ संचालित रेगुलेशन-1977 के विनियम-5 में तशोधन विषयक।	111/§122/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
§ 123 परिषद की इटावा योजना में श्री अशोक कुमार बादल पंजी सं०-50टी/डब्लू-6/89 पिछड़ी जाति के अंतर्गत पंजीकृत है को सामान्य वर्ग किरत का टूटल आब वर्ग भवन सं०-बी-217 आवंटित किये जाने के संबंध में।	111/§123/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।
§ 124 विकास नगर योजना, लखनऊ में श्रीमती तुजाता सिन्हा को प्रदिष्ट भवन सं०-4/310 के भुगतान विकल्प परिवर्तन के संबंध में।	111/§124/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

2	3	4
११२५११ इन्दिरानगर योजना-लखनऊ में स्वयं चिपों की स्कीम के अंतर्गत भवन सं०-10/43बी० के विरुद्ध सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में।	111/११२५/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि पुस्तक शासन को संदर्भित किया जाय कि कश्मीर के विस्थापितों को दण्ड ब्याज माफी की सुविधाएं दी जाय अथवा नहीं।
११२६११ श्रीमती सत्यवती शर्मा को मथुरा में नकद में आवंटित म०आ०ब० भवन सं०-579 को किराता में किये जाने के संबंध में।	111/११२६/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पुस्तक अस्वीकार किया गया।
११२७११ परिषद की इन्दिरानगर योजना के अंतर्गत श्री मनीमोहन बादल को नगद पर आवंटित भवन सं०-8/163 को किराता में करने के सम्बन्ध में।	111/११२७/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पुस्तक अस्वीकार किया गया।
११२८११ इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के से०-2 में हरी पट्टी के रूप में उपलब्ध 2.5 एकड़ भूमि में से चिकित्सा विभाग को लगभग 1.50 एकड़ भूमि प्रचलित आवासीय दरों के आधे दरों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	111/११२८/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
११२९११ परिषद की राजेन्द्रनगर बो० सं०-2, बरेली में स्टाफ पब्लिक/कायालय भवन से रिक्त 08 म०आ०ब० भवनों की नीलामी के संबंध में।	111/११२९/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पुस्तक-8, 9 एवं 10 पर विधिक राय ले ली जाये तदुपरान्त पुस्तक को बाई तरफुएन अनुमोदित करा लिया जाय।
११३०११ राजाजीपरम योजना-लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखंड सं०-256 को विक्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।	111/११३०/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पुस्तक अनुमोदित किया गया।
११३१११ इन्दिरानगर बो०-लखनऊ में से०-6 में स्व०ए०ए०ए० से चर्च की ओर जाने वाली 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित मौराज की भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	111/११३१/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि सुनरीकृत करने के उपरान्त पुस्तक अगली बैठक में रखा जाय।
११३२११ परिषद की इन्दिरानगर लखनऊ बो० के अंतर्गत श्री गोपाल कृष्ण बिष्ट को आधा नकद पर आवंटित भवन सं०-9/352 को किराता में करने के संबंध में।	111/११३२/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त पुस्तक अस्वीकृत किया गया।
११३३११ श्री प्रभाकर पुताद को आवंटित भूखंड सं०-18/302 पर लगाये गये परिवर्तन शर्तों को माफ करने के संबंध में।	111/११३३/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इतने शासन को संदर्भित करते हुए ज्ञात किया जाय कि क्या संभवतः तत्पश्चात् मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देश शासन के निर्देश है ?
११३४११ सामाजिक बान्की प्रभाग को बो० सं०-2, हापड़ में आवंटित म०आ०ब० भवन के भवन सं०-बी-110 के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	111/११३४/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात यह देखते हुए कि पं. कृष्ण रेले शासकीय विभाग से सम्बन्धित है जो व्यवसायिक कार्य न करके सामाजिक कार्य कर रहा है पुस्तक स्वीकृत किया गया।

<p>1358 बो०सं०-1, किय्या में परिषद फंड द्वारा निर्मित किये जा रहे मध्यम आ०व० के फिनिश भवनों को स्व० विद्युत परियोजना में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1358/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1368 परिषद अधिनियम की धारा-28, 29 एवं 30 के अन्तर्गत आपत्तियों को हलवाई हेतु नियोजन समिति का गठन।</p>	<p>111/1368/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव इस तशरीख के साथ स्वीकृत किया गया कि समिति में जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित कर लिया जाय।</p>
<p>1378 बूढ़पुर भूमि विकास एवं गृहस्थान बो० सं०-1, पीतहट्ट के गाम-नेकपुरकला के खतरा सं०-138 कुल रकबा 0.48एकड़ श्री वीरेन्द्र सिंह कटिहार की भूमि के सम्बन्ध में परिषद द्वारा पूर्व में लिखे गये निर्णय को तशरीहीत करने के संबंध में।</p>	<p>111/1378/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1388 जी०टी० रोड बो०सं०-7, अलीगढ़ के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1388/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1398 हापड़ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, मोदीनगर।</p>	<p>111/1398/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1408 लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1408/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1418 फिरोजगंजी नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान बो०सं०-4, रायबरेली को परिष्कार करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1418/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1428 परिषद की मंडौला भूमि विकास एवं गृहस्थान बो०सं०-4, भाग-1, मुरादाबाद में समाविष्ट भूमि खतरा सं०-135 के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1428/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्णय होने तक प्रस्ताव स्थगित रखा जाय।</p>
<p>1438 झटाबा बो०सं०-1 में समाविष्ट भूमि सं०-305/2 रकबा 2.23एकड़ को अर्जन मुक्त करने के संबंध में।</p>	<p>111/1438/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि संस्तुति के अनुसार यह भूमि अबमुक्त करना सम्भव नहीं है।</p>
<p>1448 38-41 प्राग नारायण रोड भूमिविकास एवं गृहस्थान बो० लखनऊ को परिषद द्वारा परिष्कार करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1448/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1458 रिंग रोड बो०सं०-1, मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में।</p>	<p>111/1458/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
<p>1468 भूमिविकास एवं गृहस्थान बो० बहादुरा-बाद मार्ग बो०सं०-1, रानीपुर जनपद-हरिद्वार की धारा-28 के प्रस्ताव एवं प्रावकलन।</p>	<p>111/1468/91</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

2	3	4
147} बहराइच खात भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के सम्बन्ध में।	111/147/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
148} विकास प्राधिकरणों तथा उ०प० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूखण्डों एवं भवनों पर आवंटन से विक्रय पर लाभोत्पत्ति न लिये जाने के लिये तिथि का निर्धारण।	111/148/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
149} सैण्ड तथा बिल्डिंग लाईम की बिश्राणितियों के सम्बन्ध में।	111/149/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के पश्चात सर्वसम्मति से समिति की संस्तुति से अनुमोदित किया गया।
150} मंगोलु भूमिविकास एवं गृहस्थान बो० सं०-२ भाग-1 मुरादाबाद में समाविष्ट श्री श्रीराम स्टा बोर्ड मिल की भूमि को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	111/150/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि न्यायालय में दाखल बाद वापस ले लिया जाये।
151} बतुन्धरा बो०-गाजियाबाद में श्री सहदेवमा, भूपति राज्य मंत्री, उ०प० को आवंटित मध्यम आब वर्ग भवन सं०-16/241 के सम्बन्ध में।	111/151/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
152} परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1990-91 के लिए अनुसूचित धनराशि के भुगतान के संबंध में।	111/152/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
153} इन्दिरानगर बो०-लखनऊ के से०-7 स्थित सफ०-2/80 प्रकार के दुर्गम भवन सं०-डी-135/8 के आवंटन के सम्बन्ध में।	111/153/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
154} मेरठ की बो० सं०-3 एवं 7 आवंटित आवासीय भूखण्डों पर निर्माण हेतु सम्भवता।	111/154/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जिलाधिकारी, मेरठ की संस्तुति भी प्राप्त कर ली जाये।
155} परिषद योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूमि पर निर्धारित अवधि के पश्चात निर्माण कराने हेतु अनिर्माण शुल्क की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	111/155/91	प्रस्ताव वापस किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संसूचित प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
156} परिषद की जलव्यवस्था योजना, पीलीभीत में स्थित 08 दुकानों की नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में।	111/156/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
157} परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री शमिन्द्र त्वागी, उ०प० मा० राज्यमंत्री, न्याय एवं विधायिका उ०प० को पुरिष्ठ उच्च आब वर्ग भवन सं०-1/41 के विक्रय हेतु धनराशि की किराया में बतूल करने के सम्बन्ध में।	111/157/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
158} बो० सं०-7, मेरठ में श्री कृपाल सिंह को आवंटित गृह सं०-176/1 का अनिर्माण शुल्क माफ करने के संबंध में।	111/158/91	परिषद द्वारा बिहार बिमर्शा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
159	परिषद की इन्दिरानगर योजना- लखनऊ के अंतर्गत अवशेष रिक्त चबूतरों के मूल्य स्थिर करने के सम्बन्ध में।	111/159/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
160	परिषद की कमलानगर योजना-आगरा में स्थित व्यवसायिक भूखंड सं०-बी- 2/14 की विक्रय अनुमति प्रदान करने हेतु।	111/160/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
161	परिषद की राजेन्द्रनगर यो० सं०-2, बरेली स्थित 08 टुकड़ों की नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में।	111/161/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
162	किछदा आवास योजना में स्कूल हेतु आरक्षित 18-12-00 वर्गमीटर भूमि का आवंटन डायोसित आफ बरेली एजुकेशन सोसाइटी के पक्ष में किए जाने के सम्बन्ध में।	111/162/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
163	कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन प्रशासनिक व्यवस्था में भुगतान करने के सम्बन्ध में।	111/163/91	परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पब के भाँति ही यथास्थिति बरकरार रखी जाये।
164	उ०प० आवास एवं विकास परिषद की जनपद-कानपुर में प्रस्तावित यो० सं०-1 में विभाजित समितियों को भूमि के सम्बन्ध में।	111/164/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
165	परिषद की देहरादून योजना में शिक्षण संस्थाओं को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	111/165/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166	परिषद में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतनमानों का शासन द्वारा पुनरीक्षण सब वेतन निर्धारित।	111/166/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश लागू करते समय वर्तमान स्थिति के अनुसार व्ययों द्वारा प्रा- विधानित सहित वेतन सीमा न लगाई जाय।
167	परिषद योजनाओं में नीलामी द्वारा प्रदृष्ट आवासीय भूखंड पर निर्माण समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	111/167/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
168	राजाजीपुरम यो०-लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखंड सं०-सस०-95/16 तथा सस०-94/16 की विक्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।	111/168/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169	इन्दिरानगर यो० विस्तार लखनऊ में अ०आ०व० भवन सं०-19/854 के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	111/169/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
170	परिषद में रिक्त एवं नवसृजित पदों को भरे जाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	111/170/91	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन रिक्त पदों में से निकट भविष्य में वास्तुविक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पदवार स्पष्ट संस्तुति पदों को भरने के सम्बन्ध में दी जाये।

1	2	3	4
१७१	कम्पाउन्डिंग हेतु भूमि दर के संबंध में	१११/१७१/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उल्लिखित प्रकरण में आवेदन की तिथि पर लागू दरों के अनुसार कम्पाउन्डिंग की जाये। भविष्य में आवेदन की तिथि पर लागू दरों के अनुसार कम्पाउन्डिंग करने हेतु स्वनिर्धारण की योजना बनाई जाये, जित पर मुख्य नगर एवं ग्राम निर्वाजक का अनुमोदन प्राप्त कर लागू कर दिया जाये, तदुपरोक्त परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
१७२	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के अंतर्गत श्री ए०पी० सिंह, भू०पू० आवास आवेदन को भवन सं०-४/४५३ मूल मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	१११/१७२/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस में कोई विधिक अडचन न हो।
१७३	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के अंतर्गत निराला शिवा सदन स्कूल को भूमि दिये जाने के संबंध में।	१११/१७३/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
१७४	श्रीमती भालती सिंह एवं परिषद के मध्य मा० उच्च न्यायालय वु जिला न्यायालय में चल रहे बाद में सुलह किये जाने हेतु टिप्पणी।	१११/१७४/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की संस्तुति अनुमोदित की गयी।
१७५	परिषद द्वारा ए०आ०ब० एवं अ०आ० ब० के भवनों में समाविष्ट भूमि के मूल्य पर देबू ३०% एवं ५०% की छूट के सम्बन्ध में।	१११/१७५/९१	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
१७६	उ०पू० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर परिषद में नौकरी देने के सम्बन्ध में आशवासन सं०-२२८-२४-८६-८६।	१११/१७६/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१७७	परिषद में प्रदेश के बड़े नगरों की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी-कम-टेन्डर प्रक्रिया द्वारा आवंटन।	१११/१७७/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१७८	सिकन्दरा योजना-आगरा के सं०-५ में निर्माणाधीन ७४ नग स्व०बि०पो० ४०वर्ष-७५४६मी फिनिशड ५१/१७५ प्रकार के भवनों की पुनर्निर्धारित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।	१११/१७८/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१७९	परिषद द्वारा सम्पादित किये जा रहे डिपॉजिट कार्यों के संबंध में।	१११/१७९/९१	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

2	3	4
<p>११००॥ सुतीरोड बो-लखनऊ में तमाबिष्ट मी० इंदरीश की भूमि खतरा सं०-42 के सम्बन्ध में।</p>	<p>१११/११००/११</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।</p>
<p>११११॥ अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के नाम खली स्थाई उच्चतम को उप आवास आयुक्त, समन्वय कोष के नाम अधिकृत करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>१११/११११/११</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
<p>१११२॥ ३०५० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत एवं विकसित भूमि में से सहकारी समितियों को भूमि/भूखंड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।</p>	<p>१११/१११२/११</p>	<p>परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासनवादी में उल्लिखित प्रस्तावित संशोधन के कारण स्थगित किया गया।</p>
<p>१११३॥ श्री रामदास झाइबर, मुख्यालय को उनकी पत्नी के फालित गिर जाने के कारण उपचार हेतु ₹० १०,०००/ = ₹० दस हजार मात्र का अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।</p>	<p>१११/१११३/११</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रति-पूर्ति की जाय।</p>
<p>१११४॥ संरक्षणी शिक्षा मन्दिर, मेरठ को आवंटित भूमि पर देव अवशेष का भुगतान।</p>	<p>१११/१११४/११</p>	<p>परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मूल धराराशि के भुगतान के उपरान्त ही कब्जा दिया जाय, यदि विद्यालय आधी धराराशि का भुगतान कर दे, तो आधी भूमि का कब्जा दे दिया जाय। अवशेष आधा भुगतान करने पर अवशेष भूमि का कब्जा भी दे दिया जाय। अब तक हुए विलम्ब पर साधारण दर से देय ब्याज को पांच वर्ष की छः माही किराई में प्राप्त कर लिया जाये। प्रथम किराई कब्जा देने के छः माह बाद ली जाय।</p>
<p>१११५॥ कार्यप्रभारित बिजली मिस्त्री का वेतनमान पुनरीक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>१११/१११५/११</p>	<p>अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।</p>
<p>१११६॥ अध्यक्ष(म०) की अनुमति से कोई अन्य विषयक।</p>	<p>१११/१११६/११</p>	<p>विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न और निर्णय लिए गए :- १११॥ परिषद द्वारा पूर्व में विभिन्न संकल्पों के अंतर्गत लिए गए निर्णयों के अन्तर्गत जिस किसी गठित समिति में अध्यक्ष को रखा गया हो उनके स्थान पर आवास आयुक्त को रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि यदि उन समितियों में मुख्य गोम्ब एवं नगर निर्वाजक पहले से ही नामित न हो, तो उन्हें भी उस समिति में शामिल कर लिया जाय। ११२॥ निर्माण एवं विकास कार्यों के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव यदि २० प्रतिशत की वृद्धि तक के हों, तो उन पर अनु-मोदन आवास आयुक्त से प्राप्त किया जाये और यदि वे इससे अधिक के हों, तो उन्हें परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। ११३॥ एक टिप्पणी इस आशय की प्रस्तुत की जाये, जिसमें लागत में</p>

बढ़ोत्तरी के कारण दार्जांग जाना चाहिये और यह भी बताया जाना चाहिये कि इस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

मुख्य अभियन्ता ने यह भी बताया कि पूर्व में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्धारित नार्म्स के अनुसार बनाये गये प्राक्कलन के आधार पर ही प्राप्त की जाती थी परन्तु वर्तमान में निर्माण एवं विकास कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन कार्यस्थल के अनुसार बनाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

§4§ परिषद में बैठक के लिये जो एजेन्डा तैयार किया जाये उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाये :-

§क§ एजेन्डा आइटम बहुत ज्यादा न हो।

§ख§ एजेन्डा को कुछ भागों में बाँटकर प्रस्तुत किया जाये ताकि एक प्रकार के सभी आइटम एक भाग में ही प्रस्तुत करके उन पर विचार किया जा सके।

उदाहरण के लिये भाग-एक करके उसके अन्दर "बाई-सरकुलेशन स्वीकृत के मद" करके आइटम रख दिये जाये उसके उपरान्त यथा आवश्यकतानुसार अधिष्ठान सम्बन्धि तथा नीति विषयक मामले आदि -आदि/भागों में करके एजेन्डा रखा जाये।

§ग§ प्रत्येक एजेन्डा आइटम के अन्त में परिषद के निर्णयार्थ स्पष्ट संस्तुति अवश्य अंकित की जाये।

§5§ परिषद की अगली बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिसमें परिषद के अनुमोदनार्थ विभिन्न प्रकार के नार्म्स रखे जाये जिनके आधार पर अधिकारियों को प्रतिनिधानित किया जा सके जिससे परिषद के समक्ष वास्तव में आवश्यक व नीतिगत विषय विचारार्थ आये।

§6§ परिषद के अनुमोदनार्थ एक प्रारूप भी इस आशय का रखा जाये जिसके अन्तर्गत ही भविष्य में गृहस्थान योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये। इसमें जलापूर्ति, सीबेज/मल निस्तारण आदि एवं विकास कार्यों आदि की स्थिति भी परिलक्षित होनी चाहिये।

पुष्टि की गयी